International Journal of Home Science 2021; 7(3): 112-114

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2021; 7(3): 112-114
© 2021 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 25-07-2021
Accepted: 28-08-2021

प्रीति रानी
शोध छात्रा गृह विज्ञान विभाग श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ. पूजा त्यागी
असिस्टेंट प्रोफेसर श्री वेंकटेवश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, उत्तर प्रदेश, भारत

डॉ. श्रीकांत शर्मा
प्राचार्य, अर्शदीप कॉलेज, नागल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
प्रीति रानी
शोध छात्रा गृह विज्ञान विभाग श्री वेंकेटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, उत्तर प्रदेश, भारत

हिन्दू विवाहः आधुनिक पद्धतियों की विवेचना

प्रीति रानी, डॉ. पूजा त्यागी, डॉ. श्रीकांत शर्मा

सारांश
इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य हिंदू विवाह के आधुनिक काल को दृष्टिगत रखते हुए हिन्दू विवाह की आधुनिक पद्धतियों का सामाजिक विश्लेषण करना है। अपने पारंपरिक दर्शन, रीति–रिवाजों, संस्कारों और रीति–रिवाजों, शादी की उम्र, साथी के चयन में हुए बदलावों पर, आर्थिक मुद्दों, संबंधों और भूमिकाओं, विवाह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था आदि पर आधारित है।

कुटशब्दः विवाह, रीति–रिवाज, संस्कार, रीति–रिवाज, दृष्टिकोण

प्रस्तावना
हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह = वि+वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है – विशेष रूप से (उत्तरदायित्व का) वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी क बीच जन्म–जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे कि किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे ले कर और ध्रुव तारे को साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संम्बंध से अधिक आत्मिक संम्बंध होता है और इस संम्बंध को अत्यंत पवित्र माना गया है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को चार आश्रमों (ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम) में विभक्त किया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिये पाणिग्रहण संस्कार अर्थात् विवाह नितांत आवश्यक है। हिंदू विवाह में शारीरिक संम्बंध केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से ही होता है। महाभारत के अनुसार जिनकी पत्नियां होती हैं इस दुनिया में अपने उचित दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। जिनकी पत्नियां हैं वास्तव में एक पारिवारिक जीवन है, जिनके पास पत्नियां हैं वे खुश रह सकते हैं और एक पूर्ण जीवन नेतृत्व कर सकते हैं। [1]
हिंदू विवाह वास्तव में एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। हिन्दू विवाह का उद्देश्य लगभग भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति है। यह केवल एक व्यक्तिगत समारोह नहीं है बल्कि इसमें यौन सुख का क्रमिक आनंद है। यह इस धारावाहिक संस्था के लिए एकात्म दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। हिंदू विवाह के मुख्य उद्देश्य को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

धर्म या धर्म कर्तव्यों की पूर्तिः हिंदू शास्त्रों के अनुसार विवाह सभी धर्म गतिविधियों का मूल है। के. एम. कपाड़िया के शब्दों में ''विवाह मुख्य रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए है, विवाह का मूल उद्देश्य धर्म था''। कापड़िया ने लिखा है – "हिन्दू विचारकों ने जब धर्म को विवाह का सर्वोच्च उद्देश्य तथा संतानोत्पत्ति को इसका दूसरा उद्देश्य माना तो स्वाभाविक रूप से हिन्दू विवाह पर धर्म का आधिपत्य हो गया।" [2]

प्रजननः हिंदू परिवारों में बच्चे को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार, उच्च नस्ल की संतान प्राप्त करने के लिए पति पत्नी की हथेली को स्वीकार करता है। मनु के अनुसार, विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, महाभारत ने भी यही दृष्टिकोण बनाए रखा है। वेस्टरमार्क ने लिखा है कि "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है। जो प्रथा या कानून के द्वारा स्वीकृत होता है तथा जिसमें विवाह से सम्बन्धित दोनों पक्षों और उन से उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश होता है।" [3]

हिन्दू विवाह की पद्धतियाँ

गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्मृतियों के दिनों से विवाह के आठ रूप बताए गए हैं। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से आठ से अधिक प्रचलित रूप थे। ऐसा माना जाता है कि विवाह के अन्य रूप, शास्त्रकारों द्वारा निर्धारित विवाह के आठ रूपों के अलावा, 18 लोगों की प्रथा और सुविधा पर आधारित थे। एन सी सेनगुप्ता का मानना है कि आर्य समाज में गैर–आर्य स्रोतों के रूप में विवाह के निम्न रूपों को अपनाया जा सकता है। हालाँकि, स्मृति ने युवती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के आठ तरीकों को मान्यता दी और इन्हें हिंदू कानून में विवाह के आठ रूपों के रूप में जाना जाता है।

1. **ब्रह्म विवाहः** दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोज्ञ वर से कन्या की इच्छानुसार विवाह निश्चित कर देना 'ब्रह्म विवाह' कहलाता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है। यही उत्तम विवाह है।
2. **देव विवाहः** किसी सेवा धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना 'दैव विवाह' कहलाता है। लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह मध्यम विवाह है। ए. एस. अल्तेकर के मतानुसार, 'देव–विवाह वैदिक यज्ञों के साथ ही लुप्त हो गए।'' [4]
3. **आर्श विवाहः** कन्या–पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर (सामान्यतः गौदान करके) कन्या से विवाह कर लेना 'अर्श विवाह' कहलाता है। यह मध्यम विवाह है।
4. **प्रजापत्य विवाहः** कन्या की सहमति के बिना माता–पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग (धनवान और प्रतिष्ठित) के वर से कर देना 'प्रजापत्य विवाह' कहलाता है।
5. **गंधर्व विवाहः**– इस विवाह का वर्तमान स्वरूप है प्रेम विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति–रिवाज के आपस में विवाह कर लेना 'गंधर्व विवाह' कहलाता है। वर्तमान में यह मात्र यौन आकर्षण और धन तृप्ति हेतु किया जाता है, लेकिन इसका नाम प्रेम विवाह दे दिया जाता है। इसका नया स्वरूप "लिव इन रिलेशनशिप" भी माना जाता है।
6. **असुर विवाहः** कन्या को खरीद कर (आर्थिक रूप से) विवाह कर लेना 'असुर विवाह' कहलाता है।
7. **राक्षस विवाहः** कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना 'राक्षस विवाह' कहलाता है।
8. **पैशाच विवाहः** कन्या की मदहोशी (गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि) का लाभ उठा कर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना 'पैशाच विवाह' कहलाता है।

हिन्दू विवाह की पद्धतियों पर आधुनिकता के प्रभाव का विश्लेषण

एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में विवाह ने भारतीय समाज में बदलते समय को जवाब दिया है। विवाह में प्रतिबंध, साथी का चयन, विवाह संस्कार और अनुष्ठान, विवाह की आयु, विवाह का उद्देश्य, विवाह में माता–पिता का नियंत्रण, समझौता, विवाह की स्थिरता, दहेज प्रथा आदि के संबंध में परिवर्तन चिह्नित किए गए हैं।

रीति–रिवाजों में परिवर्तन

हिंदू विवाह के संस्कारों और रीति–रिवाजों के संबंध में भी परिवर्तन चिह्नित किए गए हैं। इन संस्कारों और अनुष्ठानों ने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में परिकल्पित किया, जिसमें सप्तपदी, पाणिग्रह, कन्यादान प्रदाखिना, आदि शामिल थे। वैदिक मंत्रों का जाप, कार्यवाहक पुजारी ने भी हिंदू विवाह के पवित्र चरित्र को और उचित ठहराया।

लेकिन वर्तमान में, रस्मों को सरल बनाने और विवाह संस्कारों और रीति–रिवाजों को सटीक बनाने का प्रयास जारी है। यहां तक कि कर्मकांडों और संस्कारों का भी ईमानदारी या कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। 1954 के सिविल मैरिज एक्ट ने सिविल कोर्ट में विवाह का प्रावधान किया है। आर्य समाज और अन्य धार्मिक सुधार आंदोलनों ने विवाह की रस्मों को सरल और सटीक बना दिया है।

विवाह की आयु में परिवर्तन

आजकल शादी के समय जोड़े की उम्र बढ़ गई है। कानूनी तौर पर लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई है। इसलिए, बाल विवाह की घटना बहुत दुर्लभ हो गई है। यह प्रवृत्ति कई कारणों से विकसित हुई है–

सबसे पहले लोग जल्दी शादी के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक हुए हैं। दूसरे, शिक्षा के प्रसार और उच्च शिक्षा की इच्छा ने भागीदारों को अध्ययन में लगा दिया है। यह उच्च जाति के लड़के और लड़कियों के मामले में आम है। तीसरा, लड़के पहले घर बसाना पसंद करते हैं और फिर शादी के लिए विचार करते हैं। चौथा, लड़कियों के मामले में आर्थिक स्वतंत्रता की इच्छा को 'देर से विवाह' के कारण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

विवाह की व्यवस्था पर माता–पिता के नियंत्रण का ह्रास

पहले विवाह माता–पिता या अन्य रिश्तेदारों द्वारा तय किया जाता था। साथियों के चयन के संबंध में उनका निर्णय बाध्यकारी था। जीवन साथी का इस मामले में कोई कहना नहीं था। लेकिन आजकल आधुनिकीकरण और आधुनिक मूल्यों और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ लड़के–लड़कियां व्यक्तिवाद और उदारवाद को जन्म दे रहे हैं। यह मूल्य उन्हें विवाह में अपना निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। माता–पिता और रिश्तेदार अब शादी में उनकी राय लेते हैं।

विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन

हिंदू विवाह के उद्देश्य परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरे हैं। अतीत में, 'धर्म' 'प्रजा' और रति' को हिंदू विवाह के तीन उद्देश्य माना जाता था। 'धर्म' को विवाह का मुख्य उद्देश्य माना जाता था और इसके बाद 'प्रजा' या प्रजनन और 'रति' या यौन सुख का पालन किया जाता था। इस प्रकार हिंदू विवाह में यौन सम्बन्धों को सबसे कम प्राथमिकता दी गई। लेकिन वर्तमान में पारंपरिक उद्देश्यों के संबंध में प्राथमिकता के क्रम को उलट दिया गया है, जिसमें रति या यौन सुख सबसे ऊपर है और उसके बाद प्रजा और धर्म है।

दहेज प्रथा का उदय

अतीत में विवाह के समय एक दुल्हन के माता–पिता ने उसके प्रति अपने प्यार और स्नेह के प्रतीक के रूप में उसे गहने और गहने भेंट किए जाते थे। लेकिन आजकल यह प्रथा धीरे–धीरे दहेज की प्रथा में बदल गई है और यह विवाह में निर्णायक भूमिका निभा रही है। विनिक के अनुसार, "वह बहुमूल्य वस्तुएं जो एक पक्ष के संबंधियों द्वारा विवाह के लिए प्रदान की जाती हैं" [5]

विवाह की एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में दहेज एक प्रमुख सामाजिक समस्या बन गया है और यह बुराई हिंदू समाज में जंगल की आग की तरह फैल रही है। दहेज का भुगतान न करने या स्थगित भुगतान के परिणामस्वरूप विवाह टूट गए हैं, दुल्हन जल रही है और दुल्हन को प्रताड़ित किया जा रहा है।

हिन्दू विवाह की पारम्परिक पद्धतियों में कानूनी हस्तक्षेप

सांस्कृतिक संपर्कों के कारण हिंदू समाज सामूहिकता से व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहा है। सामान्य जागरूकता, कम उम्र में शादी के परिणाम, शैक्षिक प्रतिबद्धताएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सपनों की पूर्ति, करियर और परिपूर्णता की उम्मीद विवाह के समय बढ़ती उम्र के लिए जीवन साथी जिम्मेदार होते हैं। वास्तव में, जैसा विवाह की एक आवश्यक पूर्व शर्त दहेज प्रमुख बन गया है सामाजिक समस्या। दहेज का भुगतान न करना या स्थगित भुगतान करना जिसके परिणामस्वरूप टूटी शादियां और दुल्हन जलती हैं। के

विभिन्न रूप अतीत में बहुविवाह, बहुपतित्व और बहुविवाह जैसे विवाह प्रचलित थे। स्वतंत्रता के बाद, के कार्यान्वयन विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, बहुविवाह को प्रतिबंधित करते हैं और एकाधिकार को सख्ती से लागू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जम्मू–कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। अधिनियम में हिंदू शब्द इसमें सिख, जैनी, बौद्ध और अनुसूचित जाति शामिल हैं। दहेज अधिनियम, 1961, के द्वारा हिंदुओं के बीच दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 ने विधवाओं को पुनर्विवाह और अपने पति की संपत्ति से भरण–पोषण के अधिकार की अनुमति दी। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन विवाह साक्षरता दर, लोकतांत्रिक विचारों, धर्मनिरपेक्षता का परिणाम है। पश्चिमी विचारधारा, सांस्कृतिक संपर्क, औद्योगीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्वीकरण।

उपसंहार

हिंदू विवाह की संस्था व्यक्ति और समाज के बीच मध्यस्थता करती है। लेकिन, वैदिक काल से हिंदू विवाह की पारंपरिक अवधारणा वर्तमान काल तक अपने अलग–अलग रंगों को दिखाया है। दरअसल, इन बदलावों में बड़े बदलाव लाए गए हैं जैसे छुपे हुए दहेज प्रथा, दुल्हन को जलाने, परिवार का विघटन, घरेलू हिंसा, अकेलापन, विवाह में भूमिका संघर्ष और अंत में तलाक। समाजशास्त्रियों के लिए विवाह को पुर्नपरिभाषित और स्थानांतरित करने का समय आ गया है।

संदर्भ

1. मनु स्मृति 9, 45–47
2. कपाडिया, के. एम. मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया
3. Wester mark – "The history of human marriage Vol. 26"
4. A. S. Altekar – The Position of Women in Hindu Civilization From Prehistoric Times to the Present Day (1938)
5. Charls winick, Dictionary of Authroplogy P-174